05.09.2024

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री एस.के. त्रिपाठी उपस्थित।

अभियुक्त रामकुमार इनवाती सहित अधिवक्ता श्री सरदार सिंह बघेल उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियोजन साक्षीगण अनिल अग्रवाल एवं रमेश चन्द्र अग्रवाल को जारी समन तामील उपरांत प्राप्त, किन्तु साक्षीगण अनुपस्थित।

माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा एम.सी.आर.सी. कमांक–32212/2024 में पारित आदेश दिनांक–06.08.2024 की प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त।

इसी स्तर पर अभियुक्त रामकुमार इनवाती ने जरिये अधिवक्ता माननीय म0प्र0 उच्च न्यायलय के द्वारा उक्त एम.सी.आर.सी. कमांक–32212/2024 में पारित

ate of rder or ceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	आदेश दिनांक–06.08.2024 की प्रतिलिपि पेश की और अभियुक्त अधिवक्ता ने उक्त आदेश की सत्यता के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया और उक्त आदेश के पालन में इस आपराधिक प्रकरण की कार्यवाही से अभियुक्त रामकुमार इनवाती को उन्मुक्त करने का निवेदन किया है। आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त रामकुमार इनवाती के विरूद्ध थांना दबोह के अपराध कमांक–141/2019 अंतर्गत धारा–420, 409, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 से उद्‌भूत सत्र प्रकरण कमांक–23/2021 "म0प्र0 राज्य विरूद्ध रामकुमार इनवाती" की प्रथम सूचना रिपोर्ट को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त रामकुमार इनवाती के विरूद्ध निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त रामकुमार इनवाती ने माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के उक्त आदेश के पालन में प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से एम.सी.आर.सी. कमांक–32212/2024 "रामकुमार इनवाती विरूद्ध म0प्र0 राज्य एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक–06.08.2024 के द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरक्षी केन्द्र दबोह जिला भिण्ड के अपराध कमांक–141/2019 अंतर्गत धारा–420, 409, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उससे उत्पन्न अन्य पारिणामिक कार्यवाही अर्थात सत्र प्रकरण कमांक–23/2021 की आपराधिक कार्यवाही अभियुक्त रामकुमार इनवाती के संबंध में निरस्त कर दी गई है। इस प्रकार सत्र प्रकरण कमांक–23/2021 अंतर्गत धारा–409, 120बी, 420, 120बी सहपठित धारा–420, 467, 120बी सहपठित धारा–467, 468, 120बी सहपठित धारा–468, 471, 120बी सहपठित धारा–471 भा0दं0सं0 की आपराधिक कार्यवाही भी अभियुक्त रामकुमार इनवाती के संबंध में निरस्त हो जाती है। अतः उपरोक्तानुसार माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय म0प्र0 खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा एम.सी. आर.सी. कमांक–32212/2024 में पारित आदेश दिनांक–06.08.2024 के पालन में अभियुक्त रामकुमार	

3—459—DCGCPB—29-8-22—37,00,000.

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. 23 of 2021 ST

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	इनवाती पुत्र लक्ष्मीप्रसाद इनवाती निवासी वार्ड नंबर–6 करीब नगर डूडा जिला सिवनी म0प्र0 के विरूद्ध थाना दबोह के अपराध क्रमांक–141/2019 पर से दर्ज और इस न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक–23/2021 अंतर्गत धारा–409, 120बी, 420, 120बी सहपठित धारा–420, 467, 120बी सहपठित धारा–467, 468, 120बी सहपठित धारा–468, 471, 120बी सहपठित धारा–471 भा0दं0सं0 की आपराधिक कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है और अभियुक्त रामकुमार इनवाती को इस आपराधिक प्रकरण की कार्यवाही से उन्मुक्त किया जाता है। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर मूल सत्र प्रकरण क्रमांक–23/2021 के साथ संलग्न करने हेतु अभिलेखागार भेजा जावे। 05-09-24 (राकेश बंसल) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लहार जिला भिण्ड	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

GCPB—459—DCGCPB—29-8-22—37,00,000.